IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कपड़े कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक पृष्ठभूमि की स्थिति

(मध्यप्रदेश के धार जिले की पिथमपुर नगर के विशेष संदर्भ में)

अर्जुन अस्ताया

शोधार्थी, डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू, इंदौर (म.प्र.)

शोध सारांश –चीन तथा बांग्लादेश के साथ ही भारत में कपड़ा विनिर्माण क्षेत्र की स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति, अपनी स्थापना के बाद से, दुनिया के सबसे कमजोर उद्योगों में से एक है। नतीजन, विश्व के साथ ही भारत देश में सबसे महत्वपूर्ण निर्यात आय उद्योग होने के बावजूद, इसके कर्मचारी नियमित रूप से अस्वास्थ्यकर कामकाजी माहौल, अपर्याप्त कार्य सुरक्षा प्रबंधन और खराब व्यवहार के कारण स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला का सामना करते हैं। इसके अलावा, जब परिधान उद्योग की महिला श्रमिकों की बात की जाती है, तो स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक गंभीर होती है। हालाँकि स्वास्थ्य और सुरक्षा का आकलन करने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं, उनमें से अधिकतम अध्ययन भारत में परिधान उद्योग के बारे में चिंतित थे, विशेष रूप से उद्योग की महिला श्रमिकों के लिए। भारत में कपड़ा उद्योग ने शुरुआत से ही कमजोर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन के बीच नाटकीय वृद्धि देखी है।

कुंजी शब्द – स्वास्थ्य, आर्थिक, कपड़ा, उद्योग।

विश्व स्तर पर, कपड़ा उद्योग एक बहु–अरब डॉलर का उद्योग है, जो लगभग 60 से 75 मिलियन लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से तीन–चौथाई महिलाएं हैं। 2014 में, सार्वभौमिक रूप से, अकेले परिधान व्यवसाय का मूल्य लगभग 1209 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया था, जिसमें महिलाओं के परिधान का 621 बिलियन अमेरिकी डॉलर, पुरुषों के परिधान का 402 बिलियन अमेरिकी डॉलर और बच्चों के परिधान का 186 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल था। यदि वैश्विक स्तर पर बांग्लादेष ने परिधान निर्माण में अपना विषेष स्थान बना लिया है और सबसे बड़े परिधान निर्यातक के मामले में बांग्लादेश को चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान मौजूद है। यह बांग्लादेष जैसे गरीब देषों के लिए संजीवनी की तरह है। इसका मुख्य कारण वहॉ सुलभता से उपलब्ध श्रम और कम मजदूरी दर है। हालाँकि, बांग्लादेश के उद्योग के लिए ऊपर दिया गया व्यक्तव्य, उसके कार्यबल के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों के साथ उसी सकारात्मक प्रभाव को नहीं दर्शाता है। चीन तथा बांग्लादेश के साथ ही भारत में कपड़ा विनिर्माण क्षेत्र की स्वास्थ्य और सुरक्षा की

स्थिति, अपनी स्थापना के बाद से, दुनिया के सबसे कमजोर उद्योगों में से एक है। नतीजन, विश्व के साथ ही भारत देश में सबसे महत्वपूर्ण निर्यात आय उद्योग होने के बावजूद, इसके कर्मचारी नियमित रूप से अस्वास्थ्यकर कामकाजी माहौल, अपर्याप्त कार्य सुरक्षा प्रबंधन और खराब व्यवहार के कारण स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला का सामना करते हैं। इसके अलावा, जब परिधान उद्योग की महिला श्रमिकों की बात की जाती है, तो स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक गंभीर होती है।

हालाँकि स्वास्थ्य और सुरक्षा का आकलन करने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं, उनमें से अधिकतम अध्ययन भारत में परिधान उद्योग के बारे में चिंतित थे, विशेष रूप से उद्योग की महिला श्रमिकों के लिए। भारत में कपड़ा उद्योग ने शुरुआत से ही कमजोर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन के बीच नाटकीय वृद्धि देखी है। इस शोध में धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में कपडा उद्योग में कार्य कर रहे श्रमिकों की स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है।

राषन कार्ड का प्रकार –:

किसी भी परिवार की आर्थिक स्थित के आधार पर उसे षासन की ओर से उचित सुविधा प्रदान करने के लिए अलग–अलग प्रकार के राषन कार्ड प्रदान किये जाते है अतः यह जानना आवष्यक है कि कपडा उद्योग में कार्यरत् किस मजदूर के पास कौन सा राषन कार्ड है जो कि निम्नानुसार है –:

तालिक कमांक – 01

राषन का प्रकार

	आवृत्ति	प्रतिषत
बी पी एल	150	35.0
ए पी एल	90	45.0
अंत्योदय	90	09.0
अन्य	30	11.0
कुल	300	100.0

उपरोक्त तालिका अनुसार 45 प्रतिषत उत्तरदाताओं के पास एपीएल कार्ड है तो 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास बीपीएल कार्ड है। 11 प्रतिषत उत्तरदाताओं के पास अन्य कार्ड है तो षेष 09 प्रतिषत उत्तरदाताओं के पास अंत्योदय कार्ड है।

आंकडों के अध्ययन से निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि कपडा कारखानों में कार्यरत मजदूर निष्चय ही आर्थिक रूप से सषक्त नहीं है किंतु फिर भी कुल 44 प्रतिषत उत्तरदाता ऐसे है जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने सम्बंधी कार्ड है। बीपीएल कार्ड जहॉ किसी परिवार के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने की स्थिति को दर्षाता है तो अंत्योदय कार्ड अति गरीब परिवार को परिभाषित

करता है। 56 प्रतिषत उत्तरदाताओं के पास गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन करने का कार्ड है जिसके कारण उन्हें षासन की अनेक हितकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता है। कपडा उद्योगों में कार्य कर रहे श्रमिकों में से अधिकतम मजदूरों की नौकरियॉ अस्थायी होते हुए उनका वेतन कम होता है ऐसी स्थिति में उन्हें परिवार की प्राथमिक आवष्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बीपीएल या अंत्योदय जैसे राषन कार्डो की आवष्यकता होती है। अतः यह आवष्यक है कि कपडा उद्योग में कार्य कर रहे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का पुनः सत्यापन कर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों का एपीएल अथवा अंत्योदय कार्ड बनाया जाये ताकि वे षासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके।

कृषि भूमि की उपलब्धता –:

कपडा उद्योग में कार्यरत अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले होते है क्योंकि कृषि से परिवार की आर्थिक आवष्यकताओं की पूर्ति ना होने के कारण कृषक मजदूरी के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए आ जाते है। अतः यह जानना आवष्यक है कि श्रमिकों के पास कितनी कृषि भूमि है। कृषि भूमि उपलब्धता सम्बंधी जानकारी निम्नानुसार है –:

तालिका कमांक – 02

कृषि भूमि की उपलब्धता

भूमि उपलब्धता	आवृत्ति	प्रतिषत
भूमिहीन	60	20.0
2 बीघा से कम	150	50.0
2 से 5 बीघा	60	20.0
5 बीघा से अधिक	30	10.0
कुल	300	100.0

उपरोक्त तालिका अनुसार 50 प्रतिषत उत्तरदाताओं के पास 2 बीघा से कम भूमि है तो 20 प्रतिषत उत्तरदाताओं के पास 2 से 5 बीघा कृषि भूमि है तो इतने ही प्रतिषत उत्तरदाता भूमिहीन है। षेष 10 प्रतिषत उत्तरदाताओं के पास 5 बीघा से अधिक भूमि है।

आंकडों के विष्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि कपडा उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों के पास उचित मात्रा में कृषि भूमि नहीं है। 20 प्रतिषत उत्तरदाता ऐसे है जिनके पास या तो कृषि भूमि है ही नहीं और 50 प्रतिषत उत्तरदाताओं के पास मात्र 2 बीघा या इससे कम कृषि भूमि है। वर्तमान महॅगाई के समय में इस स्थिति में परिवार की प्राथमिक आवष्यकताओं की भी पूर्ति नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि खेती करने वाले कृषक खेती को द्वितीयक आय साधन मानते हुए पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए तत्पर रहते है जिससे कि उनके परिवार की आर्थिक आवष्यकताओं की पूर्ति हो सके। जोत के छोटे होते आकार, सिंचाई हेतु जल की अपर्याप्तता, महॅगे कृषि उपकरण और बदलते मौसम

की वजह से कृषि लाभ का धंधा नहीं रह गया है, विषेषकर छोटे एवं मझले किसानों के लिए। इसका परिणाम यह हुआ कि ग्रमीण अंचलों में निवास करने वाले कृषक परिवारों के युवा सदस्य कार्य की तलाष में षहरों की ओर पलायन कर रहे है। भारत जैसे विकासषील देषों में अकुषल श्रेणी के श्रम की आदर्ष उपस्थिति का यही कारण है।

आवासीय पृष्ठभूमि का स्वरूप –:

व्यक्ति के मन–मस्तिष्क और स्वास्थ्य पर उसकी आवासीय पृष्ठभूमि का निष्चित ही प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जिसे साधारण भाषा में संगत का असर कहा जाता है। इसलिए यह जानना आवष्यक है कि कपडा उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों की आवासीय पृष्ठभूमि का स्वरूप क्या है। आवासीय पृष्ठभूमि के स्वरूप सम्बंधी जानकारी निम्नानुसार है –:

तालिका कमांक – 03

आवासीय पृष्टभूमि का स्वरूप

आवासी पृष्ठभूमि	आवृत्ति	प्रतिषत
नगरीय	60	20.0
ग्रामीण	90	30.0
अन्य	60	20.0
गंदी बस्ती	90	30.0
कुल	300	100.0

उपरोक्त तालिका अनुसार 30–30 प्रतिषत उत्तरदाताओं की आवासीय पृष्ठभूमि का स्वरूप कमषः ग्रामीण एवं गंदी बस्ती है तो 20–20 प्रतिषत उत्तरदाता कमषः नगरीय एवं अन्य क्षेत्रों में निवास करते है।

आंकडों के अध्ययन से निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि लगभग 50 प्रतिषत उत्तरदाता गंदी बस्तियों एवं अन्य अस्वस्थ क्षेत्रों में निवास करते है। इस प्रकार के वातारण में रहने से अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्या पैदा हो सकती है। इसी के साथ इसका प्रभाव मानसिक स्थितियों को भी प्रभावित करता है। कच्ची एवं असमतल नालियॉ, घर एवं षौच के पानी को निकलने की कोई व्यवस्था ना होना, कचरा निपटान की व्यवस्था ना होना तथा साफ–सफाई की कोई व्यवस्था इस प्रकार के आवासीय क्षेत्रों में नहीं पायी जाती है। जिसके कारण यहॉ के निवासी अनेक प्रकार के चर्म एवं पेट से सम्बंधित सकमण के षिकार हो जाते है। विषेषकर बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका गहरा नकारात्मक असर पडता है। इसलिए आवष्यक है कि पीथमपुर क्षेत्र के कपडा उद्योग में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए उचित आवासीय क्षेत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

आय पर निर्भर परिवार के सदस्य –:

औद्योगिक क्षेत्रों मे कार्य करने वाले मजदूरों के परिवरों में प्रायः अन्य परिवरों की तुलना में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। इसी के साथ अषिक्षा और जागरूकता का अभाव परिवार के सदस्यों में पाया जाता है। इस कारण घर के मुखिया पर ही परिवार का सम्पूर्ण आर्थिक बोझ होता है अतः यह जानना आवष्यक है कि श्रमिक की आय पर निर्भर परिवरों के सदस्य की संख्या कितनी है जो कि निम्नानुसार है–:

तालिका कमांक – 04

आय पर निर्भर परिवार के सदस्य

निर्भर सदस्य संख्या	आवृत्ति	प्रतिषत
2 से 4 सदस्य	180	60.0
4 से 6 सदस्य	120	40.0
कुल	300	100.0

उपरोक्त तालिका अनुसार 60 प्रतिषत उत्तरदाताओं की आय पर परिवार के 2 से 4 सदस्य निर्भर है तो षेष 40 प्रतिषत उत्तरदाताओं की आय पर परिवार के 4 से 6 सदस्य निर्भर है।

आंकडों के विष्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि कपडा उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिको के ऊपर बहुत अधिक आर्थिक बोझ है। वर्तमान समय में जहॉ महॅगाई बहुत अधिक हो गई है वहॉ पर 4 से 6 परिवार सदस्यों का पालन–पोषण करना संभव नहीं है। विषेषकर बच्चों की पालन–पोषण करना एक चुनौती है। अस्थायी नौकरी तथा उचित दर से वेतन नहीं मिलने के बाद बडे परिवारों का संचालन संभव नहीं है। यही कारण है कि मजदूर वर्ग के श्रमिक कभी अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाते है जिसके कारण उनके समग्र विकास की संभावनाएँ लगभग खत्म होती जाती है। परिवार का मुखिया हमेषा परिवार की प्राथमिक आवष्यकताओं की पूर्ति में ही लगा रहता है। परिवार सदस्यों के स्वास्थ्य और बच्चों की षिक्षा पर इसका गहरा प्रभाव होता है। इसलिए आवष्यक है कि औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों एवं परिवारों में परिवार नियोजन से जुडी जागरूकता लाने का प्रयास किया जाये तथा ऐसे परिवारों को षासन की सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाये जिसके लिए वे योग्य है।

ऋण –:

वर्तमान समय में देष के आर्थिक विकास के पीछे बेहतर होती वित्तीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण हाथ है। सभी वर्ग के लोग अपने लिए आवष्यक संसाधन जुटाने के लिए तथा अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उसे एक उच्च स्तर प्रदान करने के लिए ऋण लेते है। किंतु ऋण यदि उचित संस्थाओं एवं नियम–षर्तो पर ना लिया जाये तो यह विनाषकारी भी हो सकता है। अतः यह जानना आवष्यक है कि श्रमिकों ने किस प्रकार की वित्तिय संस्थाओं अथवा व्यक्तियों से ऋण प्राप्त किया है जो कि इस प्रकार है –:

तालिका कमांक —: 05

ऋण

संस्थान	आवृत्ति	प्रतिषत
बैंक	90	30.0
म्हाजन	120	40.0
नियोजक	30	10.0
न्हीं	60	20.0
कुल	300	100.0

उपरोक्त तालिका अनुसार 40 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने महाजन से ऋण प्राप्त किया है तो 30 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने बैंक से ऋण प्राप्त किया है। 20 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है तो षेष 10 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने नियोजक से ऋण प्राप्त किया है।

आंकडों के विष्लेषण के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि अषिक्षा, जागरूकता की कमी और वित्तीय संस्थाओं की जटिल ऋण प्रकिया के कारण मजदूर वर्ग का व्यक्ति बैंकों से ऋण प्राप्त नहीं कर पाता है। वर्तमान समय में भारत के वित्तीय संस्थानों की ऋण सम्बंधी सेवाएँ इतनी पेचिदा है के अच्छे—अच्छे पढे—लिखे लोग समझ नहीं पाते है तो यह अपेक्षा करना कि बैंक इन साधारण श्रमिकों को ऋण प्रदान कर सकता है असंभव सी बात लगती है। अन्य लोगों की तरह जब भी मजदूर वर्ग के लोगों को ऋण की आवष्यकता होती है तो वह महाजन, सेठ अथवा साहूकार के पास जाते है। वहॉ उसे उच्च ब्याज दर पर ऋण मिलता है किंतु यह भी सत्य है कि ऋण मिल अवष्य जाता है। बढी ब्याज दरों के कारण उसे ऋण चुकाने में कठिनाई होती है तथा वह इस आर्थिक बोझ से जीवनभर लडता ही रह जाता है। जब किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो और उसे बढी हुई दर पर ऋण मिले तो उसका पतन होना स्वाभाविक है। इसलिए यह आवष्यक है कि मजदूर वर्ग के लोगों के लिए वित्तिय संस्थानों के नियमों में षिथिलता और सेवा में समाज कार्य की भावना होना चाहिये ताकि श्रमिक वर्ग भी आवष्यकता पडने पर कम ब्याज दर अथवा किसी षासकीय अनुदान योजनाओं के अंतर्गत आवष्यक कार्यो के लिए ऋण प्राप्त कर सके और अपनी स्थिति अनुसार उसका भुगतान भी कर सके।

कर्ज लेने का कारण —:

यदि कर्ज किसी आवष्यक कार्य के लिए लिया जाये तभी वह लाभकारी हो सकता है। अगर किसी ऐसे कार्य के लिए ऋण प्राप्त किया जाये जो अनावष्यक हो अथवा उसका महत्व उतना ना हो कि ऋण लेने के निर्णय को सही ठहराया जा सके तो वह ऋण प्राप्तकर्ता के लिए अवष्य ही सुखदायी नहीं होता है। अतः पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में निवास करने वाले श्रमिक किन कारणों से कर्जा लेते है यह जानना आवष्यक है जिसे निम्न तालिका में दर्षाया गया है —:

तालिका क्रमांक –: 06

कर्ज लेने का कारण

कारण	आवृत्ति	प्रतिषत
षिक्षा	30	10.0
स्वास्थ्य	150	50.0
निर्माण कार्य	90	30.0
अन्य	30	10.0
कुल	300	100.0

उपरोक्त तालिका अनुसार 50 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने स्वास्थ्य के लिए कर्जा लिया है तो 30 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने निर्माण कार्यो हेतु ऋण प्राप्त किया है। 10–10 प्रतिषत परिवारों ने क्रमषः षिक्षा और अन्य कारणों से कर्ज लिया है।

आंकडों का विष्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि पीथमपुर क्षेत्र अंतर्गत कपडा उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों ने मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऋण प्राप्त किया है। यह एक चिंताजनक आंकडा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य उपचार की सुविधा षासन द्वारा की गई है जिसमें षासकीय के साथ चिन्हित निजी चिकित्सालयों में भी उपचार कराया जा सकता है। षासकीय नियमों एवं विभिन्न प्रकार के श्रम अधिनियमों अंतर्गत मजदूर एवं उसके परिवार का नियोक्ता द्वारा स्वास्थ्य बीमा कराना आवष्यक होता है किंतु उपरोक्त तालिका में अंकित आंकडों से ज्ञात होता है कि ना सिर्फ नियोक्ता उद्योगपति बल्कि षासन भी मजदूर वर्ग की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर नहीं है।

न्यूनतम वेतन प्राप्त करने वाले मजदूर जो अपने परिवार की प्राथमिक आवष्यकताओ की पूर्ति के लिए भी संघर्ष करते है उनके ऊपर वर्तमान समय ही महॅगी स्वास्थ्य सुविधाओं का बोझ उन्हें साहूकारों के कर्ज के नीचे हमेषा के लिए दबाता जा रहा है। सिर्फ 10 प्रतिषत मजदूर परिवार ऐसे है जिन्होंने बच्चों की षिक्षा के लिए कर्ज लिया है जबकि षिक्षा के अलावा गरीब वर्ग का कल्याण कोई और प्रयास कर ही नहीं सकता है। इसलिए आवष्यक है कि उद्योग प्रबंधन श्रमिकों को नियमानुसार सेवाएॅ उपलब्ध कराये तथा षासन अधिक से अधिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ श्रमिक वर्ग को दिलाने का प्रयास करे।

मजदूरी नियमित रूप से मिलती है –:

किसी भी परिवार की आर्थिक आवष्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवष्यक है कि धन की प्राप्ति लगातार और सही समय पर हो ताकि घर अथवा परिवार के जीवन निर्वाह करने से सम्बंधित सामग्रीयों का क्रय समय पर हो सके। इसलिय यह जानना आवष्यक है कि श्रमिकों को मजदूरी नियमित रूप से मिलती है अथवा नही, जो कि निम्नानुसार है –:

तालिका कमांक – 07

नियमित मजदूरी

नियमित मजदूरी	आवृत्ति	प्रतिषत
हॉ	150	50.0
नहीं	150	50.0
कुल	300	100.0

उपरोक्त तालिका अनुसार 50 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें नियमित रूप से अपनी मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो षेष 50 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने नहीं में जवाब दिया है।

आंकडों के विष्लेषण के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि पीथमपुर क्षेत्र अंतर्गत कपडा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों को नियमित रूप से उनका वेतन नहीं मिलता है। यह मजदूरों के लिए चिंता का विषय है। कपडा उद्योग में श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले मजदूर आर्थिक रूप से अक्षम है अर्थात उनके पास कोई जमा पूॅजी नहीं होता है, जिसका उपयोग कर वे अपने परिवार की जरूरत की वस्तुओं को खरीद सके। मजदूर वर्ग में एक अकेला मुखिया ही कार्य करता है बाकि परिवार के सदस्य घर पर ही रहते है अतः मजदूर के वेतन पर ही घर के सभी खर्चे टिके होते है। इसलिए आवष्यक है कि मजदूरों को अपना वेतन समय पर मिले। वेतन ना मिलने की दषा में मजदूर उधारी में सामान लेकर आते है जिसका लाभ उठाकर दुकानदार अथवा सेठ–साहूकार उन्हें बढी हुई दरों में और कम गुणवत्तापुर्ण सामान देते है। मजदूर वर्ग जानते हुए भी वह सामान लेता है क्योंकि उसके पास पर्याप्त राशि नहीं होती है। इसलिए यह अतिआवष्यक है कि सभी श्रमिको को माह की एक निष्चित दिनांक पर अपना परिश्रमिक मिल जाना चाहिये।

अतिरिक्त कार्य, अतिरिक्त वेतन –ः

भारतीय श्रम अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कर्मचारी से अधिक से अधिक 8 घंटे कार्य अथवा श्रम कराया जा सकता है। यदि कोई संस्थान किसी मजदूर से 8 घंटे से अधिक कार्य कराता है तो उसे प्रति घंटे की दर से नियमानुसार अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पडता है। कपडा उद्योग में कार्य करने वाले उत्तरदाताओं को उनके अतिरिक्त श्रम का भुगतान किया जाता है अथवा नहीं यह जानना आवष्यक है। निम्नलिखित तालिका के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है –ः

तालिका कमांक – 08

अतिरिक्त कार्य, अतिरिक्त वेतन

अतिरिक्त वेतन	आवृत्ति	प्रतिषत
हॉ	90	30.0
नहीं	210	70.0
कुल	300	100.0

उपरोक्त तालिका अनुसार 70 उत्तरदाताओं ने नहीं में जवाब दिया है कि उन्हें अतिरिक्त घंटे कार्य करने पर कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता है तो षेष 30 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने हॉ में जवाब दिया है।

आंकडों के विष्लेषण के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि अधिकतम श्रमिकों को उनके अतिरिक्त घंटे कार्य करने के परिणामस्वरूप उन्हें अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता है। षासकीय नियमों के हिसाब से 8 घंटे से अधिक कार्य करने पर प्रति घंटे की दर से भुगतान करने का प्रावधान है, किंतु उद्योग प्रबंधन एवं स्वामी मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अतिरिक्त भुगतान नहीं करते है। कपडा उद्योगों में कार्य कर रहे बहुत से श्रमिक अस्थायी होते है जिसके कारण उन्हें अपनी नौकरी जाने का डर हमेषा रहता है। इसके अलावा मजदूरों में व्याप्त अषिक्षा, जागरूकता की कमी, सामूहिक एकता का अभाव और औद्योगिक नियमों से अनभिज्ञता के कारण मजदूर अपनी आवाज नहीं उठाते है। अकुषल श्रेणी का श्रम भारत जैसे विकासषील देषों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है जिसके कारण इन मजदूरों की मॉगों अथवा सुविधाओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके लिए आवष्यक है कि षासन इस ओर ध्यान दे तथा मजदूरों को उनका हक प्रदान कराने में सहायता प्रदान करे।

पीने के पानी की व्यवस्था –:

जल सम्पूर्ण धरती का आधार है। जल के अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि उसे पीने के लिए शुद्ध जल मिले नही ंतो वह अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। कपडा उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों के निवास पर पीने के पानी की क्या व्यवस्था है यह जानना आवश्यक है। पीने के पानी की व्यवस्था सम्बंधित आंकडों निम्न तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किये गये है –:

तालिका कमांक – 09

पीने के पानी की व्यवस्था

पानी की व्यवस्था	आवृत्ति	प्रतिशत
न्लकूप	**30**	**10.0**
हेंडपंप	**180**	**60.0**
कुॅआ	**90**	**30.0**
कुल	**300**	**100.0**

उपरोक्त तालिका अनुसार 60 प्रतिशत उत्तरदाता पीने के पानी के लिए हेंडपंप का उपयोग करते है तो 30 प्रतिशत उत्तरदाता कुँओं से पीने का पानी लाते है। शेष 10 प्रतिशत उत्तरदाता नलकूप से पीने के पानी की व्यवस्था करते है।

आंकडो के अध्ययन से निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कपडा उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिक अपने निवास पर पीने के पानी के लिए भूमिगत जल का उपयोग करते है। भूमिगत जल से पानी को प्राप्त करने का सबसे सुलभ साधन हेंडपंप है जो कि शासन द्वारा स्थापित किया जाता है। आर्थिक रूप से अक्षम श्रमिक परिवारों के लिए हेंडपंप एकमात्र पीने के पानी का स्त्रोत होता है। पेयजल के अलावा अन्य घरेलू कार्यो के लिए भी हेंडपंप का ही उपयोग किया जाता है। नलकूप तथा कुँओं से पानी प्राप्त करना बहुत खर्चीला है।

घर में बिजली की व्यवस्था –:

वर्तमान समय में जीवनयापन करने के लिए प्राथमिक आवश्यकताओं में विद्युत को भी शामिल किया जाता है। बिजली के अभाव में आधुनिक युग में सुलभ जीवन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आर्थिक रूप से अक्षम और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों के घर में बिजली की क्या व्यवस्था यह जानना आवश्यक है, जिसकी जानकारी निम्नानुसार है –:

तालिका कमांक – 10

घर में बिजली की व्यवस्था

बिजली व्यवस्था	आवृत्ति	प्रतिशत
एक बत्ती कनेक्शन	120	40.0
दूसरों के घरों से	180	60.0
कुल	300	100.0

उपरोक्त तालिका अनुसार 60 प्रतिशत उत्तरदाता घर में बिजली की व्यवस्था करने के लिए दूसरों के घरों से बिजली लेते है तो 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं के घरों में एक बत्ती कनेक्शन है।

आंकडों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि पीथपुर क्षेत्र अंतर्गत कपडा उद्योग में कार्य करने वाले मजदूरों के घरों में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। 60 प्रतिशत परिवार ऐसे है जो दूसरों के घरों से बिजली लेकर काम चला रहे है। कानूनी रूप से यह एक अपराध है। वास्तव में आर्थिक तंगी के कारण मजदूर परिवार बिजली के बिल का भुगतान समय पर नहीं कर पाते है जिसके कारण बिजली विभाग द्वारा उनका कनेक्शन काट दिया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पडोसी से बिजली लेकर अपना गुजारा करना पडता है। शासकीय नियमों में यह प्रावधान है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सस्ते दरों पर बिजली प्रदान की जायेगी पर श्रमिक वर्ग गरीबी के जंजाल में फॅसकर किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं कर पाता है। घर में बिजली नहीं

होने के कारण महिलाओं के सामने गृहकार्य करने की समस्या खडी हो जाती है तो बच्चों की शिक्षा पर भी इसका गहरा नकारात्मक प्रभाव पडता है। इसलिए आवश्यक है कि सभी श्रमिक वर्ग के घरों में बिजली की व्यवस्था करने के प्रयास किये जाये। वेतन में वृद्धि और स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर मजदूर वर्ग को आर्थिक कुचक्र से निकाला जा सकता है जिससे कि वह बिजली बिल जैसी राशियों को भुगतान कर सके।

निष्कर्श स्वरूप यह ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र के कपड़ा कारखानों में कार्यरत् श्रमिकों की आर्थिक स्थित बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। उनके पास पर्याप्त भौतिक संसाधनों का अभाव है जिसका मुख्य कारण उनकी निम्न आय है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि लगभग–लगभग सभी श्रमिकों को किसी ना किसी प्रकार की समस्या है।

संदर्भग्रंथ सूची

उपाध्याय सत्यनारायण, पराधीन भारत और औद्योगिक क्रांति, विनय प्रकाशन, मुम्बई, 1994

नाति सुधाकर, इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति और उसका भारत पर प्रभाव, नाहर प्रकाशन, पुणे, 1996

शर्मा डॉ. निवेदिता, भारतीय रेडीमेड कपडा उद्योग का विकास – 21 वीं सदी के संदर्भ में, सातरंग प्रकाशन, अहमदाबाद, 2017

बोरे सुजाता, कपडा उद्योग और श्रम स्वास्थ्य, अनंत पब्लिषर्स, जयपुर, 2003

चटोपाध्याय सुबोध, भारतीय श्रमिक समस्याएँ एवं संभावनाएँ, मिनरवा पब्लिकेशन 2009